नम्बर व तारी
अहकाम जो हुक्म
तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

संशोधित निर्णय दिनांक :– 15.06.2023

मिशल संख्याः– 67 / 2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

शिव पब्लिक शिक्षा समिति सरोली मोड तहसील दूनी लि0 टोंक राज0 जरिए सचिव शिवजीलाल चौधरी पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
श्री राकेश कुमार मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 513 खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.2800 है, खसरा नम्बर 1262 / 1352 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 1947 / 1264 रकबा 0.1314 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त अराजीयात शिव पब्लिक शिक्षा समिति के नाम रजिस्टर्ड है जिसका प्रार्थी सचिव है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है और उक्त आराजी बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही किसी न्यायालय का स्थगन है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:— तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 513 खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.2800 है, खसरा नम्बर 1262/1352 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 1947/1264 रकबा 0.1314 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि का पड़ोसी खातेदार से कोई सीमा विवाद नही है इसलिए अन्य खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है। आवेदक की भूमि की सीमाओ पर राजकीय भूमि नही होना बताया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नही है और पूर्व सीमाज्ञान नही होना बताया है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः जमाबन्दी सम्वत **2074—2077** में अंकित खाता संख्या 513 खसरा नम्बर 1262 रकबा 0.2800 है, खसरा नम्बर 1262/1352 रकबा 0.1200 है0, खसरा नम्बर 1947/1264 रकबा 0.1314 है0 वाके ग्राम सरोली की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे। बाद पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रेषित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली